प्रेस नोट - दिनांक 27.10.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

19 अदद पौवा नाजायज देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा 19 अदद पौवा नाजायज देशी शराब के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 27.10.2024 को उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त गुड्डू सिंह पुत्र स्व0 मुन्नालाल नि0 ग्राम मिश्र थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र 40 वर्ष के कब्जे से 19 अदद पौवा नाजायज देशी शराब बरामद कर ग्राम मिश्रखेडा से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी से आधार पर थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 332/24 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गुड्डू सिंह पुत्र स्व0 मुन्नालाल नि0 ग्राम मिश्र थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र 40 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह
2. का0 ओमनारायण

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 27.10.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव

बच्चे की हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा बच्चे की हत्या का आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.10.2024 को नगमा बानो पत्नी शारून नि0 ग्राम दारापुर थाना बागंरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा थाना बांगरमऊ पर तहरीरी सूचना दी गई कि आज समय करीब 16.00 बजे मेरे पति शारून पुत्र लियाकत शराब पीकर घऱ आये और मेरे व मेरे बच्चे आजान उम्र करीब 02 वर्ष के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान आजान उपरोक्त की मौत हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 449/24 अंतर्गत धारा 103(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया था। आज दिनाकं 27.10.2024 को प्र0नि0 श्री राजेश पाठक मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त शारून पुत्र स्व0 लियाकत निवासी ग्राम दारापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को आगरा एक्सप्रेस-वे सर्विस लाइन पर मुफर्रेपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

शारून पुत्र स्व0 लियाकत निवासी ग्राम दारापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 . प्र0नि0 राजेश पाठक
2.उ0नि0 जिब्राइल शेख ,
3.हे0का0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह,
4.कां0 रोहिताश चौधरी,
5.कां0 हरेन्द्र सिंह

प्रेस नोट - दिनांक 27.10.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा एक अवैध तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा करतूस 315 बोर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 27.10.2024 को उ0नि0 श्री सीताराम मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र रामलाल रैदास उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम उमर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव के कब्जे से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर ग्राम अटवा से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी से आधार पर थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 276/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मूलचन्द्र पुत्र रामलाल रैदास उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम उमर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1.उ0नि0 श्री सीताराम

2.का0 समरबहादुर सिंह

3.का0 रवि गिरि

प्रेस नोट - दिनांक 27.10.2024

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

दुकान से रुपये चुराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा दुकान से रुपये चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.10.2024 को मुश्ताक पुत्र स्व0 सुल्तान नि0 बड़ी बाजार कस्बा मियागंज थाना आसीवन जनपद उन्नाव द्वारा थाना आसीवन पर तहरीरी सूचना दी गई कि कस्बा मियागंज मे मेरी हार्ड बेयर एवं फर्नीचर की दुकान है। जिस पर दिनांक 20.10.2024 को समय करीब 01.45 बजे दिन दो व्यक्ति एक मोटर साइकिल से आये, जिनमे से एक व्यक्ति मुझे गुमराह करके दुकान से बाहर रखे सामान के बारे में भाव ताव करने लगा मैने दुकान से बाहर आकर उसे बाहर रखे सामान के बारे में बताया तब तक दूसरे ने मेरी दुकान के अन्दर जाकर मेरी गोलक में रखे मु0 65000/रू चुरा लिये और फिर दोनो बिना कोई सामान लिए दुकान से चले गये।जब मैने गोलक मे रखे पैसे देखे तो उनमे 65000/- रूपये नही थे। मैने अपने लडके जैनुल को आने पर बताया तो फिर मैने व मेरे लड़के जैनुल ने उन मोटर साइकिल वालों को कस्बा मियागंज मे काफी तलाश किया। परन्तु नहीं मिले, फिर उनकी मोटर साइकिल व उनको दुकान के आस पास लगे कैमरो मे चेक किया परन्तु नम्बर स्पष्ट नहीं हो सका। फिर मैने दुकान से काफी दूर लगे सी०सी०टी०वी० में चेक किया तो मोटर साइकिल नं0 UP 32 JU 0740 स्पष्ट दिखाई दिया। जिसको परिवहन एप पर डालकर चेक कराया तो उक्त मो० साइकिल वाहिद पुत्र रसीद बहुरूपिया नि० शंकरपुर सकरा थाना काकोरी जिला लखनऊ के नाम पंजीकृत है। पूरी जानकारी करने के बाद सूचना देने आया हूँ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 316/2024 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 27.10.2024 को उ0नि0 श्याम जी शर्मा मय हमराह फोर्स द्वारा मल्हौली मोड़ से मोहम्मद वाहिद पुत्र मोहम्मद रशीद निवासी शक्करखेड़ा मजरा सकरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ को मय मोटर साइकिल नम्बर यू0पी0 32 जे0यू0 0740 व चोरी के 10,200 रु0 बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.10.24 को मैने अपने साथी शानू अहमद पुत्र अज्ञात निवासी पाल कालोनी थाना पारा लखनऊ के साथ मिलकर कस्बा मियागंज में एक दुकान से 65000/- रुपये गोलक से चोरी किये थे आज फिर मै हैदराबाद में उसी तरह चोरी करने के लिये जा

रहा था कि आप लोगो को देखकर गाडी घुमाते समय पीछे बैठे मेरे साथी कूदकर भाग गये और आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया साहब चोरी किये गये 65000/- रुपये में 32500/- रुपये मेरे हिस्से में आये तो जो मैने खर्च कर लिये है उनमे से 10200/- रुपये बचे है जो मुझसे बरामद हुए हैं। फरार अभियुक्त शानू अहमद पुत्र अज्ञात निवासी पाल कालोनी थाना पारा लखनऊ की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मोहम्मद वाहिद पुत्र मोहम्मद रशीद निवासी शक्करखेड़ा म0 सकरा थाना काकोरी लखनऊ उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 10,200 रु0 व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1. उ0नि0 श्याम जी शर्मा
2. हे0का0 देवीप्रसाद
3. हे0का0 बैजनाथ प्रसाद
4. कां0 जितेश कुमार